


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

नाम लाल सिंह बनाम गंगानदीप कौर आदि
 संख्या 87 / 2024 अन्तर्गत धारा 212 RTA

क्र.सं.	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
---------	-----------------------------------	---

21/04/25 आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र में विवेदन किया गया कि उक्त अनवान प्रकरण में प्रार्थी का अप्राथमिक से सम्बन्ध तो गथा है। इसलिए पत्रावली आज पेशी में ली जाकर प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थापी निवेदाशा दिनांक 28/10/2024 श्री निरस्त की जाती है। पत्रावली विणीति होकर नम्बर से काम होकर वापिस दफ्तर हो।

Not Press
 लाल सिंह




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)